पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 229/2017 3222 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
मुजफ्फरपुर।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, काँटी।

पटना, दिनांक– 30-11-18

विषयः– ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2018–19 के ग्रुप सं0–06 के कार्य नगर पंचायत, काँटी में वार्ड सं0–02 एन0एच0–28 विश्वनाथ ठाकुर के घर के आगे पाण्डेय टोला होते हुए कोलस्टोर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य के आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, काँटी का पत्रांक– 628 दिनांक–28.09.2018

महाशय,

उपुर्यक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2018–19 के ग्रुप सं0–06 के कार्य नगर पंचायत, काँटी में वार्ड सं0–02 एन0एच0–28 विश्वनाथ ठाकुर के घर के आगे पाण्डेय टोला होते हुए कोलस्टोर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य हेतु मान्य 10 निविदाकार का उद्धत दर एकसमान (परिमाण विपत्र की राशि से 10% कम) रहने के फलस्वरूप दिनांक–28.11.2018 को निविदाकारों/उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में सफल निविदाकारों के बीच अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में लॉट्री किया गया एवं लॉट्री में **श्री शशि कुमार** का नाम सफल संवेदक के रूप में चयनित हुआ।

तद्नुसार लॉट्री के आधार पर चयनित **श्री शशि कुमार** को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि **43,87,654/–(तैंतालीस लाख सत्तासी हजार छः सौ चौवन)** रूपये मात्र से **10%** कम दर पर अर्थात राशि **39,48,889/–(उन्चालीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ नब्बासी)** रूपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है। कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे। कार्यपालक अभियंता, डुडा, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, काँटी सभी कागजातों का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि **06 (छः)** माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका–टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तद्नुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलबध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवेल अवश्य करा लेगें, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढ़ग से की जा सके।
9. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
10. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
11. पथ के फ्लैक का निर्माण पथ के Crust के बाद Camber में निर्मित करेंगे ताकि जल का जमाव पथ पर नहीं हो तथा फ्लैक एवं पथ क्रस्ट के बीच किसी प्रकार का ठोकर नहीं हो।
12. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
13. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलींथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेगें।
14. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रत्तर कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

<u>अनु0:–</u> तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।